

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਲਂ. 1341] No. 1341] नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2016/ज्येष्ठ 11, 1938 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 1, 2016/ JYAISTHA 11, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2016

का.आ. 1936(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 434 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 01 जून, 2016 को वह तारीख नियुक्त करती है जिसको कंपनी विधि प्रशासन बोर्ड (कंपनी विधि बोर्ड) के समक्ष लंबित सभी मामले अथवा कार्यवाहियां या वाद राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे और वह कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार ऐसे मामलों अथवा कार्यवाहियों या वादों का निपटान करेगा।

[फा. सं. 1/30/सीएलबी/2013-सीएल.V]

प्रीतम सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2016

S.O. 1936(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 434 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints the 01st day of June, 2016, on which all matters or proceedings or cases pending before the Board of Company Law Administration (Company Law Board) shall stand transferred to the National Company Law Tribunal and it shall dispose of such matters or proceedings or cases in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 or the Companies Act, 1956.

[F. No. 1/30/CLB/2013/CL-V] PRITAM SINGH, Addl. Secy.